N-19011(30)/1/2022-Governance
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
www.panchayat.gov.in

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
25, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi – 110001

Dated: 8th December 2022

To

Principal Secretary,
Revenue and Panchayati Raj Department
All states and Union Territories

Subject: National Conference on SVAMITVA scheme and Rural Planning held on 03rd and 04th November 2022-reg

This is in reference to a two-day National Conference on SVAMITVA Scheme and Rural Planning held on the 3rd and 4th of November 2022 at Bhopal, Madhya Pradesh. The conference was presided over by the Secretary, Panchayati Raj with participation from States & UTs – Revenue and Panchayati Raj Departments, Survey of India, Industry Experts, Research Institutes, and Elected Representatives from Zilla, Block, and Gram Panchayats.

2. The proceedings will help the various departments of the States and UTs in understanding the matters related to property tax adopted by states, status of land governance, uses and benefits of CORS in Rural areas, experiences shared by stakeholders, and opportunities in Rural Spatial planning, etc. The said proceedings are enclosed at ***Annexure I***.

Encls: As above.

Yours Faithfully,

(Avinash Chander)
Under Secretary to Govt. of India

अनुलग्नक I

स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही

स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में दिनांक 3 और 4 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता सचिव, पंचायती राज द्वारा की गईजिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र - राजस्व और पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, उद्योग विशेषज्ञ, अनुसंधान संस्थानएवं जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध में** संलग्न है।

2. दो दिनों की अवधि के दौरान सम्मेलन की चर्चा को पांच सत्रों में विभाजित किया गया था। पहला दिन स्वामित्व योजना के अवलोकन और स्वामित्व योजना पर 'विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट' की शुरुआत, 'भू शासन' पर ब्रेकआउट सत्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र द्वारा 'संपत्ति कर' पर प्रस्तुतियों के पश्चात राज्यवार प्रस्तुतियों पर केंद्रित था। दूसरे दिनमें 'सतत रूप से संचालित संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस)' और उनके उपयोग से संबंधित मामले, 'रोवर्स का उपयोग करके भविष्य का अद्यतनीकरण', 'कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर' की स्थापना से संबंधित आवश्यकताएंऔर 'ग्रामीण स्थानिक योजना' संबंधी सत्र शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार (वीएसएम) (सेवानिवृत्त), स्वामित्व योजना के अध्यक्ष हैंडहोल्डिंग और निगरानी समिति द्वारा संचालित प्रश्न-उत्तर सत्र के दौरान पीएसयू और विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों की व्यापक भागीदारी रही, स्वामित्व डेटा के उपयोग पर गूगल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और आईआईटी इंदौर के विशेषज्ञों द्वारा इनपुट भी प्रदान किए गए थे। विचार-विमर्श में ग्रामीण नियोजन के लिए स्वामित्व डेटा का उपयोग भी शामिल थाजिसमें प्रमुख योजना और वास्तुकला संस्थानों द्वारा इनपुट प्रदान किए गए और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी उनके संबंधित ग्राम पंचायतों (जीपी) में स्थानिक योजना के लिए शुरू की गई पायलट परियोजना के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।

<u>सत्र I (स्वामित्व योजना)</u>

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वागत संबोधन

i. संयुक्त सचिव, पंचायती राज ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया- जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्य के संबंधित विभागों, संबद्ध उद्योग विशेषज्ञों, एनआईसी के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों (ईआर) का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि उक्त सम्मेलन सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट इनपुट प्रदान करने का एक प्रयास है ताकि कार्यशाला से मिली शिक्षा को जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके।

ii. दोहरे उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं- अब तक की प्रगति को समझना और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त शिक्षा और योजना के बृहत्तर परिणामों को साकार करने के साधनों का प्रसार करना | पंचायत विभाग इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं, जो पंचायतों की विकासात्मक योजना के लिए स्वामित्व योजना के आंकड़ों का उपयोग करेंगे और जहाँ भी हस्तांतरित होंगे, ग्राम पंचायतों के लिए ओएसआर बढ़ाएंगे। राज्य राजस्व विभाग राज्य स्तर पर प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है एवं अन्य सहित आबादी भूमि पर ऑनलाइन ऋण की सुविधा के साथ-साथ तैयार की गई एंड-टू-एंड ऑटोमेशन सिस्टम से संबंधित जानकारी हेतु अन्य राज्यों के साथ अनिवार्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए। राज्यों के संबंधित विभाग अपनी परियोजनाओं में सीओआरएस नेटवर्क के लाभों के बारे में जानेंगे।

iii. उन्होंने राज्यों को कार्यशाला की मुख्य बातों को आत्मसात करने के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि विभाग और अन्य हितधारकों को इसका लाभ मिल सके।

डॉ. संजय गोयल, सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आधार/मुख्य भाषण

i. सचिव, राजस्व ने सभी प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया।

ii. उन्होंने उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया: जून, 2020 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और अब तक सभी 52 जिलों को कवर किया गया है। 'अधिकार अभिलेख' इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा रहा है और राज्य अधिनियमों और नियमों के तहत कानूनी रूप प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने 'एसएएआरए' एप्लीकेशन के लाभों से भी अवगत कराया। 'समग्र' एप्लिकेशन डेटाबेस ने जनसांख्यिकीय डेटा को स्वामित्व डेटाबेस में एकीकृत करने में मदद की है जिससे राज्य के लिए समय और प्रयास की काफी बचत हुई है। 'अधिकार अभिलेख' में एकीकृत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) है और यह मध्य प्रदेश राज्य'भूलेख' पोर्टल पर डिजिटल रूप से उपलब्ध है।

iii. मध्य प्रदेश राज्य ने दिसंबर 22 तक ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा है और दिसंबर, 23 तक सभी प्रकार के संपत्ति कार्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर को हरदा में आयोजित एक कार्यक्रम में 19 जिलों के लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। साथ ही, लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) का उपयोग बैंक ऋण प्राप्त करने और विवादों के निपटान के लिए किया जा सकता है।

iv. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।

श्री एस चोकलिंगम, महानिदेशक, यशदा द्वारा आधार/ प्रमुख व्याख्यान

i. श्री एस चोकलिंगम ने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जिसमें ब्रिटिश काल के दौरान मैनुअल सर्वेक्षण की सीमा का और देश के सर्वेक्षण और मानचित्र तैयार करने में लगी लंबी अवधि का प्रमुखता से उल्लेख किया गया ।

ii. उनके द्वारा स्वामित्व के अग्रगामी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी भी प्रदान की गई जिसमें महाराष्ट्र ने गांवों के नक्शे बनाने के लिए एक ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की। यह ग्रामीण विकास विभाग, नगर सर्वेक्षण कार्यालय और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से संभव हुआ है।

iii. प्रारंभिक परीक्षण और त्रुटि विधि के माध्यम से, जो 6 महीने तक चला, ड्रोन मॉडल को अंतिम रूप दिया गया और पीओसी (संकल्पना का प्रमाण) सफलतापूर्वक पूरा किया गयाजिसके परिणामस्वरूप स्वामित्वयोजना दुनिया में कहीं भी किए गए सबसे बड़े भूमि सर्वेक्षण और साथ ही सुधारों में से एक है। संकल्पना के प्रारंभिक प्रमाण (पीओसी) के माध्यम से ±9 सेमी की सटीकता प्राप्त की गई थी जो मैन्युअल सर्वेक्षण से कहीं बेहतर है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ±25 सेमी और शहरी क्षेत्रों के लिए ±12.5 सेमी की सटीकता थी। यह पहली बार है कि बिंदुओं के x, y और z निर्देशांकों को कैप्चर किया जा रहा है।

iv. दूसरा नवाचार जो ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके हुआ हैजिसमें मानचित्र बनाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए बिना सीधे सीमांकन के लिए चूना रेखा का उपयोग किया जा रहा था। इस योजना ने विवादों का निपटान किया है क्योंकि भूमि पर अधिकार को हक-विलेख में परिवर्तित कर दिया गया है।

v. उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि अब समय आ गया है कि स्वामित्व सर्वेक्षण की शाखाओं जैसे सीओआरएस , डिजिटाइज्ड मानचित्र, ग्रामीण योजना और संपत्ति कर का उपयोग किया जाए। उन्होंने जोर दे कर कहा कि स्वामित्व योजना का डेटा विभिन्न अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर

भी जोर दिया कि गाँवों की योजना में गाँवों की कम होती आबादी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर इसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य को गाँवों में बिना दावेदार वाली भूमि का उपयोग करने की भी योजना बनानी चाहिए और उनकाउचित उपयोग किया जाना चाहिए।

श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्वयोजना के कार्यान्वयन और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों से संबंधितअवलोकन प्रस्तुतिकरण

i. श्री. आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के उद्देश्यों और देश भर के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में योजना कार्यान्वयन की स्थिति - विवादों का निपटान, बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा स्वीकार्य हक-विलेख' का निर्माण और दूसरों से बेहतर गुणवत्ता वाली जीपीडीपी से अवगत कराया | उन्होंने क्या करें और क्या न करें संबंधी विभिन्न बातें भी बताई जो कि योजना को लागू करते समय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को याद रखनी चाहिए।

ii. बेहतर संसाधन उपयोग, मानचित्रों का तेजी से आदान-प्रदान और सीओआरएस की स्थापना के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जानेहेतु विचार और आगे के उपाय प्रदान किए गए । दिसंबर,22के लिए भावी लक्ष्य - मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करना, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, डीएनएच के यूटी में संपत्ति कार्ड की तैयारी पूरी करना भी निर्धारित किया गया था। मार्च, 2023 तक 2.5 लाख गांवों में कार्य पूरा करना, मार्च 2024- सभी आबाद गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने और मार्च, 25 तक सभी गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयोजन है।

iii. ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड का कार्य पूर्ण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य भी बताए गए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को संक्षेप में समझाया गया। उन्होंने स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और इसके अध्यायों में

विस्तारपूर्वक उल्लेखित विभिन्न सिफारिशों के बारे में भी बात की और राज्य से सिफारिशों को अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया ।

श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आधार/प्रमुक व्याख्यान

i. श्री. सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सभी प्रतिभागियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

ii. उन्होंने पिछले वक्ताओं द्वारा चर्चा की गई स्वामित्व योजना के विभिन्न पहलुओं पर सहमति जताई । वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत का महासर्वेक्षक - लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, श्री एस चोकलिंगम; बंदोबस्त आयुक्त महाराष्ट्र; अध्यक्ष, बीओआर, यूपी और प्रधान सचिव, पंचायती राज, हरियाणा के प्रयासों से भी सहमत हुए। । सामूहिक प्रयास आज इस योजना की सफलता में परिणत हुए हैं।

iii. पूर्व माननीय पंचायती राज मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर का सहयोग ने उक्त योजना को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया। ग्रामीण आबाद भूमि के सभी मालिकों को जनसांख्यिकी और सामाजिक स्थिति का भेदभाव किये बिना संपत्ति कार्ड प्रदान किये जा रहे हैं। यह योजना आबादी क्षेत्रों में उनकी ग्रामीण भू संपत्तियों के बैंक द्वारा स्वीकार्य दस्तावेज प्रदान कर रही है और उनके पूंजीगत मूल्य को अनलॉक करने में मदद कर रही है।

iv. उन्होंने उन गांवों के लिए योजना बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जहां आबादी नहीं है। ग्रामीण संपत्तियों को बाजार मूल्य प्रदान करने के लिए आबादी क्षेत्र की सर्कल दर निर्धारित करने की आवश्यकता है। 60 हजार गांव राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के निकट हैं। अगर ऐसे गांवों की पूंजीगत मूल्य शुरू हो जाए तो बाजार में काफी चल निधि आ सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लगभग 2.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को मुद्रीकरण प्रयोजनों के लिए शुरू किया जा सकता है।

v. इस योजना द्वारा राजस्व, पंचायती राज और योजना विभाग के कई पहलु प्राभावित हुए हैं और वे आगामी वर्षों में और भी शाखाएं लाएंगी। उन्होंने सम्मेलन के दौरान साझा किए जा

रहे अनुभवों से लाभ उठाते हुए राज्यों से सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग और कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने पर जोर दिया ।

सत्र II (भू गवर्नेंस)

समूह 1 - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन रणनीति जहां गांवों के आबादी क्षेत्र का कोई पूर्व रिकॉर्ड मौजूद न हो

माडरेटर/संचालक: श्री एस चोकलिंगम, महानिदेशक, यशदा

i. संचालक महोदय ने उल्लेख किया कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए नियम और भूमि रिकॉर्ड हैं, जबकि कई जगहों पर आबादी क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेखों के लिए उत्तरदायित्व संबंधी दुविधा से संबंधित मामलों की चर्चा की। आगे चर्चा को दिशा देते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा दो बिंदुओं पर होगी, पहली रिकॉर्ड प्रबंधन के प्रभारी की पहचान करना और दूसरा कि नियम कैसे होने चाहिए |

ii. इसके अलावा, उन्होंने राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों से अनुरोध किया कि वे भावी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं, अपनाई गई रणनीतियों और कानूनों/अधिनियमों में संशोधनों को साझा करें।

iii. श्री दिलराज सिंह, सचिव, राजस्व विभाग, पंजाब ने कहा कि राज्य के पास आबादी क्षेत्र और सार्वजनिकभूमि का आंशिक रिकॉर्ड है। राज्य स्वामित्व योजना के तहत अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को मालिकाना हक प्रदान करने के संबंध में पंजाब के अधिनियम पर भी चर्चा की। इस अधिनियम के तहत नियम भी बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि राज्य ने संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है और कहा कि राजस्व विभाग द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाएगा।

iv. श्रीभीष्म लाल वर्मा, उपायुक्त, राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश के ने कहा कि वर्ष 2016 में आबादी सर्वेक्षण को राजस्व कोड में शामिल किया जा चुका है। उस कोड के तहत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण नियमावली अधिसूचित की गई थी। विभाग सर्वेक्षण नियमों के तहत ग्रामीण आबादी की भूमि का सर्वेक्षण कर रहा है। उन्होंने पैतृक परिवार की महिलाओं के स्वामित्व मामलों का भी प्रमुखता से उल्लेख किया और कहा कि इस मामले को निपटाया जाए ।

v. श्री अर्जुन मोहन, भा.प्र.से., लक्षद्वीप ने कहा कि यूटी में बसे हुए 10 द्वीपों में से सभी 10 द्वीपों का सर्वेक्षण किया गया है और 6 द्वीपों के हार्डकॉपी मानचित्र बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजस्व विभाग यूटी में योजना कार्यान्वयन का नेतृत्व कर रहा है और कहा कि कुछ मुद्दों पर संघ शासित क्षेत्र भारत के सर्वेक्षण के साथ समाधान / निरिक्षण के लिए निरंतर चर्चा कर रहा है।

vi. श्रीश्रीमन शुक्ला, आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश ने कहा कि राजस्व विभाग निर्माण एवं अधिकार अभिलेख (आरओआर) एवं सृजित आरओआर मध्यप्रदेश पोर्टल पर उपलब्ध कराने से संबन्धित कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व कोड के अनुसार प्रत्येक जनसंख्या भूखण्ड का मानचित्र अनिवार्य होगा।

vii. श्रीबी एल गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज विभाग, राजस्थान ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा रहा है| उन्होंने संपत्ति कार्ड के लिए विचार किए जाने वाले अधिकतम क्षेत्र के संबंध में स्वामित्व योजना से संबंधित मुद्दों की चर्चा की । इसके अतिरिक्त सुश्री रौनक बैरागी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज, राजस्थान ने कहा कि गांव का आबादी क्षेत्र पंचायती राज के अंतर्गत आता है जबकि कृषि भूमि राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है और कहा कि पहली बार स्वामित्व योजना के तहत मानचित्र बनाए जा रहे हैं| उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में जिलाधिकारी के पास किसी आबाद क्षेत्र को आबादी वाले गाँव में बदलने की क्षमता है।

viii. सुश्री इला गिरी, एडीएम, उत्तराखंड ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मानचित्र प्राप्त हो चुके हैं और राजस्व विभाग ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए आगे की कार्रवाई कर रहा है।

ix. श्री अर्जुन पांडियन, केरल ने बताया कि भूमि संबंधी मुद्दों को राजस्व विभाग द्वारा निपटाया जाता है और कहा कि राज्य ड्रोन सर्वेक्षण के साथ-साथ राज्य के पुन: डिजिटल सर्वेक्षण की योजना बना रहा हैजिसमें से 73 गांवों में ड्रोन उड़ाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

x. श्री राजीव रंजन, आयुक्त, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, जम्मू और कश्मीर ने आबाद क्षेत्र और आबादी क्षेत्र से संबंधित मामलों का प्रमुखता से उल्लेख किया। राज्य आबाद गांवों के लिए विस्तार योजना तैयार करने के उपाय तलाश रहा है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में चूना मार्किंग करने संबंधी मामलों का भी प्रमुखता से उल्लेख किया।

xi. श्रीमती झांसी रानी, उप निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, आंध्र प्रदेश ने बताया कि आंध्र प्रदेश के सर्वेक्षण विभाग द्वारा मानचित्रन और सर्वेक्षण के पश्चातसंबंधित गतिविधियाँ की जाती हैं, जबकि नामांतरण राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है । उन्होंने कहा कि 10 से अधिक घरों वाले क्षेत्रों को आबादी क्षेत्र माना जाएगा।

संचालक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ चर्चा समाप्त हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि आबादी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी भूखंडों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

समूह 2 - उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की कार्यनीति जहां आबादी क्षेत्र के पूर्व रिकॉर्ड मौजूद हैं (या तो आंशिक/पूर्ण)

माडरेटर/संचालक: श्री मुनीश मौदगिल, आयुक्त, सर्वेक्षण बंदोबस्त और भूमि अभिलेख, कर्नाटक

i. संचालक महोदय द्वारा उल्लेख किया गया किनागरिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना उनके हित के लिए हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि नागरिक इसके सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं इसलिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी नहीं करना एक अपवाद हो सकता है ।

ii. भूमि के वास्तविक अधिकार और पुराने पैतृकरिकॉर्ड में भिन्नता हो सकती है। ग्राम सभाओं के दौरान, यदि ग्राम निवासी सहमत होते हैं तो मानचित्रों को अंतिम रूप दिया जाए और संपत्ति कार्ड जारी किए जाएं। विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझा लिया जाना चाहिए ।

iii. यदि वास्तविक अधिकार और पैतृकरिकॉर्ड में भिन्नता के कारण कुछ विवाद हैं तोकानूनी दृष्टिकोण से पैतृक रिकॉर्ड ही मान्य होगा। लेकिन अगर कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, तो मामला अदालत में भेजा जा सकता है। मैत्रीपूर्ण समझौते की प्रक्रिया हमेशा वांछनीय होती है।

iv. राज्यों को ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए अधिनियमों/कानूनों के तहत प्रावधान बनाना चाहिए और विवादों के निपटान के लिए हक-विलेख/कानूनी उपाय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उदाहरण के लिएकर्नाटकराज्य ने भूखंडकी स्थिति के आधार पर लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में जांच अधिकारी का मार्गदर्शन करने के लिए एक लुकअप टेबल बनाया है।

v. राज्य विभिन्न मामलों के आधार पर अधिकारसंबंधी तथ्य या कानूनी स्वामित्व के आधार पर आरओआर प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं।

vi. सरकारी भूमि पर अधिकार के मामले में - राज्य आरओआर उपलब्ध कराने / नियमित करने / जारी नहीं करने के लिए नीतिगत निर्णय ले सकता है |

समूह 3 - 5वें, 6वें, अनुसूची और अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आने वाले विशेष रूप से विचारणीय क्षेत्र

संचालक: श्री शांतनु गोटमारे, निदेशक, भूमि अभिलेख, असम

प्रारम्भ में, संचालक ने विशेष रूप से विचारणीय क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय दिया और चर्चा का एजेंडा निर्धारित किया जिसमें विशेष क्षेत्रों में भूमि शासन संरचना और स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के

प्रमुख कारक शामिल हैं । चर्चा के दौरान जिन मुख्य बिंदुओं का प्रमुखता से उल्लेख किया गया, वे इस प्रकार हैं:

i. गैर-आदिवासी संस्थाओं द्वारा आदिवासी भूमि के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने के लिए छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में राज्य राजस्व कोड/विनियम हैं।

ii. विशेष रूप से विचारणीय क्षेत्रों में आबादी क्षेत्रों की संकल्पना अन्य क्षेत्रों की तुलना में भिन्न है। असम के मामले में, बीटीसी को छोड़कर, कोई निर्दिष्ट आबादी क्षेत्र नहीं है, हालांकि भूमि रिकॉर्ड में दो प्रकार की भूमि, आवासीय भूमि और कृषि भूमि शामिल हैं।

iii. छत्तीसगढ़ में क्षेत्रों के दो प्रकार हैं जिसमेंप्रचलित आबादी क्षेत्र और संरक्षित आबादी क्षेत्रशामिल हैं, और दोनों क्षेत्रों के लिए केएमएल फाइलें बनाई गई हैं।

iv. मणिपुर मेंकोई आबादी क्षेत्र नहीं है, हालांकि, इसमें घाटी क्षेत्र हैं, जिनका बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया है, और लिखित भूमि रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहां राजस्व विभाग द्वारा गांव की पहचान की जाती है। स्वामित्व योजना केवल घाटी क्षेत्रों में शुरू हुई हैऔर पहाड़ी क्षेत्रों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उन पर भी विचार किया जाना चाहिए एवंस्वामित्वयोजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।

v. मिजोरम में 330 गांवों की पहचान की गई है जिनका सर्वेक्षण नहीं किया गया है और अन्य ऐसे गांव हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है | हालांकि, वे इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं। ऐसे अधिसूचित कस्बे हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है, भूमि बंदोबस्त प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं और जिनकी केएमएल फाइलें मौजूद हैं, और उन गांवों की सीमाएं निश्चित की जा सकती हैं । एडीसी के लिए, 102 गाँव हैं, जिनमें से कुछ का सर्वेक्षण किया गया है; 9 का सर्वेक्षण नहीं किया गया है और कुछ का आंशिक रूप से सर्वेक्षण किया गया हैजिसका विवरण बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। एमएलईसी, 77 गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उन गांवों की सीमाओं को चिन्हित किया जा सकता है। चकमा एडीसी के तहत 88

गांवों को स्वामित्व योजना के तहत शामिल किया गया है हालांकि कुछ का सर्वेक्षण किया जा चुका है| सर्वेक्षण हेतु ड्रोन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता है।

vi. अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और केवल शहरी क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। यहां 25 जिले हैं, जिनमें 3011 गांव हैं। राज्य में यह देखा गया है कि कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया है क्योंकि पूरी भूमि सामुदायिक भूमि है और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दान की गई है। अरूणाचल प्रदेश में भू-भाग दुर्गम हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। गांव की सीमाएं स्पष्ट की जा सकती हैं और केएमएल फाइलें तैयार की जा सकती हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 2400 गांवों की केएमएल फाइलें प्राप्त हुई हैं।

vii. त्रिपुरा में, लगभग 70% भौगोलिक क्षेत्र एडीसी के दायरे में आता हैऔर 587 गांव एडीसी के अधीन हैं। गाँव के नक्शे भूकर सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए गए थे, जो शायद सही न हों। संचालक महोदय ने बताया कि वन वाले गांव स्वामित्व योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालांकि, यह सुझाव दिया गया था कि एमओपीआर द्वारा एफआरए गांवों को स्वामित्व के तहत भी माना जा सकता है। एडीसी क्षेत्रों के लिए स्वामित्व पर भी विचार किया जा सकता है और इसे भी चर्चा में शामिल किया जा सकता है। संचालक महोदय ने सुझाव दिया कि राज्य को जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) के निर्माण पर विचार करना चाहिए।

viii. श्री एम. के. स्टालिन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि राज्य को दिए गए विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले नक्शों की तुलना, उन पुराने नक्शों से की गई थी जो राज्यों के पास उपलब्ध थे और मेल नहीं खा रहे थे। पीओसी ड्रोन कुछ गांवों में उड़ाया गया है और राज्य के साथ डेटा साझा किया गया हैजिससे संबंधित प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ix. संचालक महोदय ने स्वामित्व योजना के तहत आने वाली चुनौतियों और अपेक्षित सहयोग का प्रमुखता से उल्लेख करते हुए बताया कि प्री-ड्रोन के उड़ान के दौरान, एडीसी के पास अलग से सर्वेक्षण विंग नहीं थे जिसके कारण उन्हें केएमएल फाइलेंतैयार करने में कठिनाई

का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, केएमएल फाइलें सरलता से तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी। अक्सर यह देखा गया है कि एसपीएमयू को प्राप्त धनराशि की तुलना में डीपीएमयू को धनराशिप्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार, यह सुझाव दिया गया है कि प्रति डीपीएमयू, 2-3 लोगों को काम पर रखा जा सकता है और एमओपीआर द्वारा भुगतान किया जा सकता है, जिन्हें डीपीएमयू की अवधि समाप्त होने पर एसपीएमयू के तहत पूर्ण रूप से नियुक्त किया जाए और काम लिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए चूना मार्किंग संभव नहीं हो सकता है अत: अन्य वैकल्पिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। श्री एम. के. स्टालिन ने सुझाव दिया कि प्लास्टिक रिफ्लेक्टर का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिए असम और त्रिपुरा में एक पीओसी सफलतापूर्वक किया गया है।

<u>सत्र III (संपत्ति कर)</u>

ऑनलाइन पंचायत संपत्ति कर प्रणाली, ग्राम पंचायत संपत्ति रजिस्टर का स्वचालन, और भू-राजस्व अभिलेखों के साथ लिंक

संचालक: श्री विनोद यादव, उप निदेशक, मध्य प्रदेश, पंचायती राज विभाग

अध्यक्षः सुश्री शिल्पा शर्मा, आयुक्त, पंचायती राज, कर्नाटक

i. अध्यक्ष ने वर्तमान ओएसआर मांग को वर्ष 2021-22 के लिए 680 करोड़ रुपये बतायाजिसके स्वामित्व सर्वेक्षण डेटा को एकीकृत करने के बाद बढ़कर 1000 करोड़ होने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के लिए ग्राम पंचायतों से कर संग्रह 90% था।

ii. पंचायत कर्मचारियों के वेतन में 40% धनराशि देने के बाद ग्राम पंचायत विकास गतिविधियों के लिए ओएसआरनिधि का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण और बाल एवं महिला कल्याण आदि के लिए ओएसआर निधियों का उपयोग करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

iii. ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली के लिए 'पंचतंत्र' एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए दिनांक 13.06.2022 को ई-स्वथू एप्लिकेशन भी शुरू किया गया था।

iv. ग्राम पंचायतों में करीब 1.42 करोड़ संपत्तियों से संपत्ति कर वसूला जाता है। स्वामित्व के बाद, लापताहो रहे 75 लाख से अधिक संपत्तियों की संपत्ति कर संग्रह के अधिकार क्षेत्र में आने की संभावना है।

v. उन्होंने बताया कि मौजूदा संपत्ति रिकॉर्ड में लापता संपत्तियों और क्षेत्र में संशोधन (इसके अलावा लगभग 40%) से अतिरिक्त लाभ की संभावना है क्योंकि ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि और भवन के लिए उपयुक्त क्षेत्र कैप्चर कर लिया गया है।

vi. संपत्ति कर आकलन और संग्रह के संबंध में अधिनियम में बदलाव लाने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है। उसी के अनुसार, वर्ष 2016 और वर्ष 2022 में नियमों में संशोधन किया गया थाऔर संपत्ति कर गणना के लिए बाजार मार्गदर्शन मूल्य और भू-भाग लिया गया है।

vii. अवैज्ञानिक कर गणना विधियों, त्रुटिपूर्ण गणना प्रणाली, और पिछले कर संग्रह प्रणाली के रजिस्टरों में अद्यतन जैसे मामलों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों से राजस्व संग्रह में कमी आई।

viii. संपत्ति कर गणना के लिए अब तक उपयोग की जाने वाली तीन विधियों - वार्षिक किराया मूल्य, पूंजीगत मूल्य पद्धति और क्षेत्रीय वर्गीकरण पद्धति पर चर्चा की |

ix. कर्नाटक में ग्राम पंचायतों के संपत्ति कर की गणना के लिए पूंजीगत मूल्य पद्धति अपनाई जाती है जबकि कर्नाटक में कुछ शहरी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय वर्गीकरण पद्धति का भी उपयोग किया जाता है।

x. ग्राम पंचायतों को हर दो साल में कर की दरों और प्रत्येक वर्ष शुल्क में संशोधन करना चाहिए। 'पंचतंत्र' एप्लिकेशन का उपयोग उन ग्राम पंचायतों पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने अपने करों में संशोधन नहीं किया है।

xi. ग्राम पंचायतों में 'बापूजी सेवा केन्द्र' की स्थापना के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें की गई। इसके अतिरिक्त पंचतंत्र 2.0 द्वारा घरों के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

xii. समय पर करदाताओं के लिए 5% छूट दी जाती है और सौर प्रणाली, ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और वर्षा जल संचयन प्रणाली के प्रावधान वाले घरों के मालिकों को 10% छूट दी जाती है।

स्वामित्व डेटा और इसके लाभों का उपयोग करते हुए संपत्ति कर का निर्धारण

वक्ता: श्री आयुष प्रसाद, सीईओ, जिला पंचायत, पुणे

i. श्री आयुष प्रसाद ने संपत्ति कर पर स्वामित्व प्रभाव, गांवों में अतिक्रमण, महिलाओं के संपत्ति अधिकार और योजना संबंधी साधनों पर चर्चा की।

ii. उन्होंने संपत्ति रजिस्टरों में नामांतरण, ऋण स्वीकृत करने और संपत्तियों के एकीकरण के लिए बैंकों द्वारा फॉर्म-8 की स्वीकृति, विवाद समाधान, कर योग्य क्षेत्रों में वृद्धि, अतिक्रमण की जांच और अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाने जैसे एसबीएम, एसडब्ल्यूएम, जल जीवन मिशन, आदि मामलों से संबंधित समस्या के समाधान में स्वामित्व से होने वाले विभिन्न लाभों के विषय में बताया ।

iii. यह बताया गया कि वालुंज गांव के कर योग्य क्षेत्र में 3.98 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि वर्ष 2021-22 के लिए कर संग्रह में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

iv. निर्माण हेतु प्रयुक्त बहुत ही छोटे भू-भाग को भी जोड़ा गया और वालुंज गांव में स्वामित्व सर्वेक्षण के बाद वर्गीकरण की गलतियों को सुधारा गया । उन्होंने लोनावाला के कठिन भौगोलिक पहाड़ी क्षेत्रों में स्वामित्व के माध्यम से कर संग्रहण क्षेत्रोंकी पहचान की ।

v. अतिक्रमण से एकत्रित जुर्माना के माध्यम से सरकारी राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई ।

vi. पुणे जिले में 202 गैर-आबादी वाले गाँव हैं जहाँ प्रवासन के दौरान जनसंख्या में कमी आई है और कई अवरूद्ध (किसी के स्वामित्व में नहीं) संपत्तियों पर अधिकार कर लिया गया है जिनका उपयोग भविष्य में अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

vii. पुणे जिले में 88% संपत्तियों परएकलअथवा संयुक्त रूप से घरों की महिला सदस्यों का स्वामित्व था।

प्रमुख बिंदुओं पर राज्यवार चर्चा

क) गांवों में मौजूदा संपत्ति कर प्रणाली

ख) यदि स्वामित्व डेटा/मानचित्रों का उपयोग करते हुए संपत्ति कर में कोई वृद्धि हुई हो

ग) यदि संपत्ति कर नहीं लिया गया/अथवा ऐसी प्रणाली जो मौजूद नहीं है, तो क्या राज्य इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं

वक्ता: डॉ. घनश्याम अनुरागी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जालौन, उ.प्र

जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने ग्राम पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण और इंजीनियरिंग अनुभाग की अनुपस्थिति को सुस्पष्ट किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में नक्शों केनिर्माणमें कमी आई है। गांव में घर बनाने से पहले उचित प्रक्रियात्मक और नक़्शे के अनुमोदन संबंधी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा । प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जनशक्ति का कम्प्यूटरीकरण और प्रतिनियुक्ति की जाएगी । नक्शे और कानूनी दस्तावेज न होने के कारण, बैंक किसानों को उनकी संपत्तियों के बदले ऋण देने से हिचकते हैं। उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए और कर संग्रह के लिए प्रमाणित दस्तावेज तैयार करते हुए, कुछ छोटी राशि ग्राम पंचायतों की पहचान व सुदृढ़ीकरण के लिए संपत्ति कर की वसूली की जाएगी ।

वक्ता: श्रीमती झांसी रानी, उप निदेशक, एसएसएलआर विभाग, आंध्र प्रदेश

उप निदेशक महोदया ने प्रमुखता से उल्लेख किया कि आंध्र प्रदेश में संपत्ति कर की श्रेणी के तहत लगभग 90 लाख संपत्तियां हैं जिनकीस्वामित्व के बाद बढ़कर 1.6 करोड़ होने की संभावना है। वर्तमान में, एकत्र किया गया वर्तमान कर 680 करोड़ है जो कि स्वामित्वयोजना के कार्यान्वयन के बाद बढ़कर 1080 करोड़ हो सकता है। मुख्यमंत्री ने ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीकरण तालुक प्रणाली की स्थापना की है। उन्होंने लगभग 11,000 ग्राम सचिवालयों की स्थापना की है ताकि जनता तक पहुँच कर उनकी भूमि का सर्वेक्षण किया जा सके और उनकी भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड प्राप्त किया जा सके। इसी व्यस्तता के कारण लोग अपनी संपत्तियों का सर्वेक्षण कराने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके अलावा, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र ग्राम स्तर पर जारी किए जाते हैं। नामांतरण राजस्व प्राधिकरण द्वारा किया जाता है जबकि सर्वेक्षण, सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वक्ता: श्री बलबीर सिंह, सदस्य, जिला पंचायत, लुधियाना, पंजाब

सदस्य महोदय ने बताया कि अभी गांवों में संपत्ति कर की व्यवस्था नहीं है। सदस्य महोदय ने जोर देकर कहा कि पंचायतों के अपने आय के स्रोत के लिए एक प्रावधान बनाया जाए ताकि वह अपने चालू खर्चों को वहन कर सके।

वक्ता: श्री बीनू जॉन, उप निदेशक, केरल सरकार

उप निदेशक महोदय ने मूल्यांकन करते हुए बताया कि केरल पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायतें संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, मनोरंजन कर आदि सहित विभिन्न प्रकार के कर लगा सकती हैं। संपत्ति कर को 'संचय' नामक एक मंच पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। दरें प्लिंथ क्षेत्र के साथ -साथ भवन की श्रेणी पर आधारित हैं | वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लगभग 90% टैक्स ग्राम पंचायतों से वसूल किया गया। पंचायत सचिव गांव के प्रत्येक वार्ड के लिए मूल्यांकन रजिस्टर रख

रहे हैं। संपत्ति कर के अलावा, पंचायतें कुछ सेवाओं के लिए सेवा कर लगा सकती हैं (संपत्ति कर का 10% नहीं होना चाहिए)। 'संचय' सॉफ्टवेयर जनता के लिए ई-पेमेंट करने हेतु तैयार किया गया है एवं इसके माध्यम से अन्य रिपोर्टें भी तैयार की जा सकती हैं।

वक्ता: डॉ. रौनक बैरागी, अपर आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान

आयुक्त महोदय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि पंचायती राज अधिनियम में निर्माण हेतु प्रयुक्त क्षेत्र के आधार पर भवनों से कर की वसूली का प्रावधान है | हालांकि, अनुचित दस्तावेजीकरण और अभिलेखों के रखरखाव के कारण, संपत्ति कर का संग्रह अभी तक शुरू नहीं किया गया है। हालांकि, संपत्ति रिकॉर्ड के उचित डेटाबेस और दस्तावेज तैयार कर स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर वसूल करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के पश्चातराजस्थान पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व के स्रोत को बढ़ाने के लिए संपत्ति कर एकत्र करना शुरू कर सकता है।

वक्ता: श्री मनोज तिवारी, डीपीआरओ-देहरादून, उत्तराखंड

डीपीआरओ महोदय ने प्रमुखता से उल्लेख किया कि राज्य के पंचायती राज अधिनियम में निर्माण हेतु प्रयुक्त क्षेत्र के आधार पर भवनों से संपत्ति कर की वसूली का प्रावधान है। हालाँकि, व्यावहारिक रूप से, राज्य अब तक इसे लागू नहीं कर पाया है। राज्य इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि स्वामित्व डेटा संपत्ति रजिस्टरों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में कैसे योगदान दे सकता है। स्वामित्व योजना उचित/सटीक भूमि मुद्रीकरण को साकार करने में मदद करेगा जो जीपीडीपी योजना और ओएसआर सृजनसे संबंधित मामलों को और अधिक महत्व प्रदान करेगा। संपत्तियों के आकलन और अपनी सेवाएं देने में उत्तम कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों के उपनियमों, नियमावली और प्रारूपों का

अध्ययन किया जाएगा। उत्तराखंड में सुदृढ़ संपत्ति कर प्रबंधन प्रणाली हेतु अन्य राज्यों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को दोहराया जाएगा।

मॉडरेटर श्री विनोद यादव, उप निदेशक, पंचायती राज, मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुति

संक्षेप में संपत्ति कर मॉड्यूल और इसके महत्वपूर्ण आंकड़ों के इंटरफेस का प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्राम सभा नियम, 2001 के अनुसार भवनों के निर्मित क्षेत्र (वर्ग किमी में) पर कर लगाने के लिए दर कोष्ठक प्रस्तुत किए। कर स्लैब में संशोधन का अधिकार अधिनियम (नियम) ग्राम सभा के पास है। वे आवश्यकता और जरूरत के अनुसार इसमें संशोधन और सुधार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में संपत्ति कर लगाने के लिए भवनों के साथ-साथ विज्ञापनों के लिए भूमि भी शामिल की गई है। ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली का एक सिंहावलोकन देते हुए "पंचायत दर्पण" ने संपत्ति कर संग्रह के लक्ष्यों और चुनौतियों और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार की गई रणनीतियों के बारे में बताया। संपदा 2.0 के साथ स्वामित्व डेटा एकीकरण प्रक्रिया में है।

मॉडरेटर श्री विनोद यादव, उप निदेशक, पंचायती राज, मध्य प्रदेश द्वारा चर्चा का सारांश

i. मॉडरेटर ने सभी सम्मानित वक्ताओं के बिंदुओं और अनुभवों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कर्नाटक संपत्ति कर प्रणाली की ऑनलाइन संपत्ति प्रणाली में कई स्लैब हैं। अन्य राज्य अपने संबंधित राज्यों की आवश्यकता और आवश्यकताओं के अनुसार अपनी ग्राम पंचायतों के लिए कम स्लैब अपना सकते हैं। कर्नाटक की प्रस्तुति से जो अच्छी बात सामने आई है, वह उन लोगों के लिए करों में छूट थी, जिनके घरों में सौर पैनल और जल संचयन प्रणाली है, उन्हें ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

ii. महाराष्ट्र संपत्ति कर प्रणाली स्वामित्व के माध्यम से संपत्ति कर प्रणाली में पारदर्शिता हासिल कर रही है, जिससे ग्राम पंचायतों में धोखाधड़ी की गतिविधियों को खत्म करने और छिपे हुए निर्मित क्षेत्रों को

पकड़ने में मदद मिली है। स्वामित्व सर्वेक्षण में वालुज ग्राम पंचायत में संपत्ति कर में संशोधन कर वृद्धि की गई है । सीमाओं का सीमांकन और महिलाओं के नाम को अधिकारों के रिकॉर्ड से जोड़ना कुछ अच्छी प्रथाएं हैं जिन्हें महाराष्ट्र द्वारा लागू किया जा रहा है।

iii. उत्तर प्रदेश ने इस बात की ओर इशारा किया कि करदाता का योगदान ग्राम पंचायतों के विकास में कैसे मदद करेगा। करों का भुगतान करदाताओं को उनकी संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त करने और उनकी भूमि के मूल्य में वृद्धि करने में मदद करेगा। आंध्र प्रदेश की अपनी मजबूत ऑनलाइन संपत्ति कर प्रणाली है जबकि पंजाब राज्य लोगों से कोई कर नहीं वसूल रहा है। हालाँकि, पंजाब इस दृष्टिकोण को तोड़ना चाहता है और ग्राम पंचायतों के विकास और खर्च को वहन करने के लिए ग्राम पंचायतों में एक स्थिर संपत्ति कर स्थापित करने की दिशा में काम करेगा ।

iv. केरल राज्य का अपना अनूठा मॉडल है जिसे अन्य राज्यों के लिए अपने राज्यों में पूरी तरह से दोहराना मुश्किल हो सकता है। हालाँकि, अन्य राज्य केरल में संपत्ति कर प्रणाली से सीख सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उनके राज्यों में गोद लेने के लिए इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं।

v. सभी बिंदुओं को समाप्त करते हुए, मॉडरेटर ने स्वामित्व योजना डेटा के साथ उपलब्ध संपत्ति कर प्रणाली के एकीकरण और अद्यतन की आवश्यकता और मामले पर प्रकाश डाला। राज्य पंचायतों की बेहतरी के लिए बदलाव लाने और सभी राज्यों में एक प्रभावी संपत्ति कर प्रणाली के निर्माण में जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण के समानांतर एक सकारात्मक उत्पादन-संचालित दृष्टिकोण अपना सकते हैं। स्वामित्व योजना ने एक विश्वसनीय संपत्ति डेटाबेस के निर्माण के माध्यम से एक आधार के रूप में स्थापित करके एक महान अवसर दिया है जिसके माध्यम से सभी राज्यों में संपत्ति कर की मांग का सही आकलन किया जा सकता है।

****

दूसरे दिन की कार्यवाही

सत्र i (सी.ओ.आर.एस)

वक्ता: लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार (वीएसएम) सेवानिवृत्त, भारत के पूर्व महासर्वेक्षक, स्वामित्व योजना की निगरानी और निगरानी समिति के अध्यक्ष

शुरुआत में, अध्यक्ष ने सी.ओ.आर.एस और बुनियादी ढांचे की स्थिति कैसे प्रासंगिक है, के महत्व पर प्रकाश डाला। 2005 में नेशनल मैप पॉलिसी जारी की गई थी और उस दौरान जीपीएस का भी इस्तेमाल किया गया था लेकिन रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिल रहा था। सी.ओ.आर.एस रीयल-टाइम परिणाम देने में मदद कर सकता है। अन्य विभागों के वक्ता भी सी.ओ.आर.एस पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति देते हैं।

सी.ओ.आर.एस प्रौद्योगिकी का अवलोकन

वक्ता: श्री नीरज गुर्जर, निदेशक, जी एंड आरबी, सर्वे ऑफ इंडिया

i. वक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भूमि सर्वेक्षण के मामले में, स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए लंबाई/आयाम, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन आदि जैसे निरपेक्ष माप की आवश्यकता होती है, और संदर्भात्मक माप जैसे तापमान, दिशा आदि की आवश्यकता होती है।

ii. परंपरागत रूप से माप के इन विभिन्न उपकरणों का उपयोग टेप/चेन, ऑटो/डिजिटल स्तर, कुल स्टेशन, जीपीएस/जीएनएसएस, स्थलीय सेंसर आदि के रूप में किया जाता था। वनस्पति क्षेत्रों या जहां आसमान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, वहां जीपीएस प्रदर्शन करने में असमर्थ था। अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता और जब वास्तविक समय में परिणाम की आवश्यकता होती है तो सटीकता प्रदान नहीं की जाती थी।

iii. उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भूमि सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियाँ जैसे श्रृंखला सर्वेक्षण जिसमें इसके लिए स्थानीय संदर्भ और गाइड दिशा की आवश्यकता होती है।

iv. कुल स्टेशन सर्वेक्षण के लिए एक प्रारंभिक/संदर्भ बिंदु और संदर्भ दिशा की आवश्यकता होती है।

v. इन दिनों, ड्रोन सर्वेक्षणों का उपयोग किया जा रहा है और स्थिति प्राप्त करने के लिए इसमें एक जीपीएस उपकरण भी लगाया गया है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पार्सल/भूखंड की पहचान की जाती है, और सुविधाएँ निकाली जाती हैं।

vi. जीपीएस सर्वेक्षण में, जीपीएस स्थिति और दूरी का विश्लेषण करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। उपग्रहों से आने वाली रेडियो किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक वक्र में आती हैं। इसी क्रम में सुधार के विभिन्न तरीकों पर भी चर्चा की गई।

vii. सी.ओ.आर.एस नेटवर्क मूल रूप से स्थायी रूप से स्थापित संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है, जो केंद्रीय सर्वर पर कच्चे उपग्रह अवलोकनों को लगातार स्ट्रीमिंग करता है। सी.ओ.आर.एस के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को ऑनलाइन होस्ट किया जाता है ताकि सर्वेक्षकों को संदर्भ स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता न हो । वे एक ही डेटा का उपयोग कर सकते हैं। आरटीके प्रणाली के लिए दो जीपीएस और एक ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती थी। यह केवल 10-20 किमी ही तय कर सका।

viii. नेटवर्क आरटीके ने परिचालन सीमा बढ़ाने, दूरी पर स्थितीय सटीकता में सुधार करने, बेहतर रिडंडेंसी बनाने आदि में मदद की।

ix. सी.ओ.आर.एस समय और लागत बचाने में मदद करता है, उपयोग में आसान है, और समरूपता सटीकता और एकरूपता और निर्देशांक की पता लगाने की क्षमता है।

x. ड्रोन सर्वेक्षण में सी.ओ.आर.एस ऑनबोर्ड स्थिति निर्धारण, पोस्ट-प्रोसेसिंग किनेमैटिक्स और रीयल-टाइम किनेमैटिक्स प्रदान करता है। सी.ओ.आर.एस के संभावित अनुप्रयोग बड़े पैमाने पर मानचित्रण, भूमि सर्वेक्षण, ऑटो नेविगेशन, कृषि में मशीन नियंत्रण, बुद्धिमत्तापूर्ण/कुशल परिवहन प्रणाली और पृथ्वी अवलोकन प्रणाली जैसे मौसम संबंधी अध्ययन आदि हैं।

सी.ओ.आर.एस आधारित सर्वेक्षण और ग्रामीण भारत में सी.ओ.आर.एस के उपयोग के विभिन्न उपयोग मामले

वक्ताः श्री पंकज गुप्ता, बिक्री प्रमुख, जियोसिस्टम, हेक्सागोन

i. स्पीकर महोदय ने नेटवर्क आरटीके पर प्रकाश डाला जो जीएसएम नेटवर्क और सुधार सेवाओं का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को एक सटीक स्थान प्रदान कर सकता है।

ii. सी.ओ.आर.एस आरटीके पारंपरिक आरटीके पर दूरी निर्भरता और उच्च सटीकता और विश्वसनीयता का शमन प्रदान करता है।

iii. स्पीकर महोदय ने भूमि रिकॉर्ड डेटा प्रबंधन प्रणाली जैसे फर्म के उपयोग को उजागर करने के लिए किए गए विभिन्न केस अध्ययनों की जानकारी दी। हेक्सागोन एक एकीकृत समाधान और निर्बाध प्रक्रिया प्रदान करता है।

iv. फिक्स्ड-विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन का उपयोग कर एयरबोर्न सर्वेक्षण सी.ओ.आर.एस नेटवर्क जमीनी नियंत्रण बिंदुओं को स्थापित करने में मदद करता है जो सटीक भू-संदर्भ, ग्राउन्ड ट्रुथिंग आदि के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है ।

भविष्य में अद्यतनीकरण के लिए रोवर्स का उपयोग - राज्य में परिचालन मॉडल का प्रदर्शन, उपयोग और अन्य आवश्यकताएं

वक्ताः श्री संजीव त्रेहान , निदेशक, व्यवसाय विकास और बिक्री सरकार और रक्षा, ट्रिम्बल नेविगेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड

i. स्पीकर महोदय ने बताया कि कंपनी का ध्यान स्वायत्तता पर है, और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता, मूल्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने चाहिए, और स्थिरता लगातार सिद्ध होती है।

ii. ट्रिम्बल ने 298 सी.ओ.आर.एस स्थापित किए हैं और देहरादून में मौजूदा सीसी में एकीकृत हैं । बिहार, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 118 सीओआरएस की स्थापना शुरू कर दी गई है। नेशनल हाई-स्पीड रेल के लिए 60 सी.ओ.आर.एस पूरा हो गया है।

iii. स्पीकर महोदय ने अधिकांश राज्यों के राजस्व विभागों और अन्य विभागों में मौजूदा व्यवस्था की समस्याओं पर प्रकाश डाला। कई हैंडलिंग एजेंसियां, पुराने और आउटडेटेड, अधूरे ग्राफिकल रिकॉर्ड आदि शामिल हैं, सी.ओ.आर.एस और जीएनएसएस इन सभी मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। सी.ओ.आर.एस एक सुसंगत समन्वय ढाँचा प्रदान करने में मदद करता है।

iv. संपत्ति सर्वेक्षण के लिए जीएनएसएस सी.ओ.आर.एस अवसंरचना सटीक स्थिति को रीढ़ प्रदान करती है, एक सामान्य संदर्भ फ्रेम बनाए रखती है, सेटअप समय के रूप में लागत कम करती है, संपत्ति कर मूल्यांकन और संग्रह, स्थिरता और पुनरावृत्ति सुनिश्चित करती है, और ड्रोन सर्वेक्षण आदि का समर्थन करती है।

v. उन्होंने फील्ड क्रू संचालन को प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए सी.ओ.आर.एस में आरटीके मोड पर जोर दिया। सी.ओ.आर.एस का उपयोग ड्रोन सर्वेक्षण डेटा के पोस्ट-प्रोसेसिंग के लिए वर्चुअल जीसीपी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

सी.ओ.आर.एस नियंत्रण केंद्र - आवश्यकता और लाभ - मध्य प्रदेश राज्य मामले को विस्तृत किया जाना है।

वक्ताः श्री आशीष भार्गव, अपर आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

i. अध्यक्ष महोदय ने सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के फायदों और मध्य प्रदेश में सी.ओ.आर.एस कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। सभी 90 स्टेशनों को सफलतापूर्वक रखा गया है और नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है।

ii. उन्होंने एक मानचित्र प्रदर्शित किया जिसमें दिखाया गया है कि राज्य में सभी सी.ओ.आर.एस स्टेशन 35-45 किमी के बफर आकार के साथ और सी.ओ.आर.एस ऊंचाई प्रोफाइल के साथ स्थापित किए गए हैं,

iii. उन्होंने सी.ओ.आर.एस कमीशनिंग की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया, यानी राज्य में मौजूदा प्रणाली के साथ 500 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने की क्षमता है, राज्य ने शुरुआत में 60 रोवर भी खरीदे हैं और प्रत्येक जिले आदि को एक रोवर आवंटित किया है,

iv. एनआरटीके के फायदों पर भी प्रकाश डाला गया, यानी स्थितीय सटीकता, विश्वसनीयता, उपलब्धता, स्थिरता, मापनीयता, लचीलापन और अनुकूलता।

v. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य ने केंद्रीय नियंत्रण केंद्र को राज्य की आवश्यकताओं के साथ समवर्ती उपयोगकर्ताओं को बढ़ाने, डिवाइस प्रबंधन और डेटा की तेजी से पुनर्प्राप्ति के साथ ट्रैकिंग, सटीकता को नियंत्रित किया जा सकता है, सीमांकन और सर्वेक्षण कार्यों आदि के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कमीशन किया है।

केंद्रीय नियंत्रण विजन से संबंधित लाभों पर भी चर्चा की गई, अर्थात स्वामित्व ड्रोन इमेज ऑर्थो रेक्टिफिकेशन, सी.ओ.आर.एस आधारित, सीमांकन, सर्वेक्षण/रिजर्व, राहत प्रबंधन, ग्राम पंचायत विकास योजना, जल संसाधन प्रबंधन, आदि।

सी.ओ.आर.एस - प्रश्न उत्तर प्रश्न

मॉडरेटर: लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमार (वीएसएम) सेवानिवृत्त, भारत के पूर्व महासर्वेक्षक

1. डॉ. रमा पांडे, एचओडी, पर्यावरण नियोजन, एसपीए भोपाल ने सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के उपयोग और वार्ड और गांव स्तर पर योजना के लिए डेटा की पहुंच के बारे में पूछताछ की।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. सी.ओ.आर.एस एक पोजिशनिंग डिवाइस है और एक बिंदु के निर्देशांक प्रदान कर सकता है। डेटा अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ओआरआई आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है लेकिन आबादी के बाहर के क्षेत्र अन्य एजेंसियों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह स्वामित्व के दायरे से बाहर है।

ii. मध्य प्रदेश राज्य राजस्व विभाग अन्य एजेंसियों को भी सी.ओ.आर.एस सेवाएं प्रदान करेगा।

iii. स्थानिक डेटासेट को पर्यावरण नियोजन उद्देश्यों के लिए क्षेत्र पर कब्जा करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए सी.ओ.आर.एस सटीक स्थिति सेवा प्रदान कर सकता है।

iv. कई अध्ययनों के लिए अपरिष्कृत जीएनएसएस डेटा का उपयोग किया जाता है जैसे कि भू-धंसाव विश्लेषण और मौसम पूर्वानुमान। कच्चे जीएनएसएस डेटा को अनुसंधान और शैक्षणिक सेवाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। सी.ओ.आर.एस सेवाओं का लाभ सर्वे ऑफ इंडिया के सी.ओ.आर.एस पोर्टल के माध्यम से लिया जा सकता है। यूपी, उत्तराखंड , हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के लिए डेटा एजेंसियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

2. **श्री शांतनु गोटमारे, निदेशक, डीएलआरएस, असम ने असम में सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के** संचालन के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने और सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के घनत्व के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में रक्षा मंत्रालय को शामिल करने के बारे में पूछा।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. सघनता भविष्य की आवश्यकता है और साझा जरूरतों को पूरा करने और धन संबंधी मुद्दों को समाधान करने के लिए आदेश विभागों के सहयोग से किया जा सकता है जैसा कि राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत यूपी और उत्तराखंड के मामले में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है।

ii. पूर्वोत्तर राज्यों, लक्षद्वीप द्वीप और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों जैसे कई राज्यों में संचार ढांचा पिछड़ रहा है। उसके लिए बीएसएनएल की तरह वीएसएटी सेवा प्रदाताओं को डेटा को नियंत्रण केंद्र में लाने के लिए लगाया जा रहा है, उपभोक्ताओं द्वारा खपत के लिए इसे मांग

के आधार पर समायोजित करना पड़ सकता है। उपग्रह आधारित सुधार सेवाओं को इसरो के सहयोग से शामिल किया जा सकता है।

iii. 95% की सटीकता के साथ 3-4cms की वर्तमान नेटवर्क सटीकता प्राप्त की जाती है। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए, उपयोग के मामलों के आधार पर >99% सटीकता की आवश्यकता होती है।

3. **श्री गोकुल परदेसी, निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र ने वन विभाग के अंतर्गत आने वाले एक भूमिखंड/पार्सल के कारण अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के बारे में पूछताछ की।**

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद स्वामित्व योजना के दायरे में नहीं है। यह राज्यों के बीच एक सुविचारित निर्णय होना चाहिए। श्री एस चोकलिंगम , डीजी, यशदा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को वन सीमा और राजस्व सीमा के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लेना चाहिए क्योंकि वन विभाग राजस्व विभाग की तुलना में कमजोर स्थिति में है क्योंकि नक्शे 1:4000 या 1:10000 की स्केल पर हैं। सीमाओं के सीमांकन के लिए राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय होना चाहिए।

4. **श्री सुनील वर्मा,** मुख्य अभियंता, एमपीआरडीसी ने सड़कों और सरकारी भूमि के सीमांकन के मुद्दों और भूस्खलन के कारण सड़कों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों की जानकारी ली।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए 3डी नक्शा और जियोस्ट्रेटा प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, हालांकि, स्वामित्व योजना में केवल आबादी क्षेत्र के नक्शे उपलब्ध हैं, एमपीआरडीसी आबादी क्षेत्र के बाहर भूमि के भू- संदर्भित मानचित्रों के लिए राज्य सरकार या सर्वे ऑफ इंडिया से बात कर सकता है।

5. **श्री दुर्गेश सिंह**, एमपी राज्य राजस्व विभाग ने एमपी राज्य के लिए उपलब्ध कराए जा रहे जिओइड मॉडल के बारे में पूछताछ की ताकि सीओआरएस नेटवर्क का उपयोग करने के लिए अन्य सभी राज्य विभागों को एक साथ लाया जा सके।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. भारतीय सर्वेक्षण विभाग देश के लिए एक जियोइड मॉडल बनाने की कवायद कर रहा है जो दीर्घवृत्ताकार और एमएसएल ऊंचाई के बीच संबंध प्रदान करेगा। सी.ओ.आर.एस दीर्घवृत्ताकार ऊंचाई प्रदान करेगा और 10cms की सटीकता के साथ एमएसएल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जिओइड मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में काम पूरा हो चुका है।

ii. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काम चल रहा है । अगले दो साल में जिओइड मॉडल पूरे देश के लिए स्थापित किया जाएगा, जिओइड सुविधा सी.ओ.आर.एस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी ताकि जब माप रोवर्स का उपयोग किया जाता है, तो उपयोगकर्ता सीधे एमएसएल ऊंचाई प्राप्त कर सकें। मार्च' 24 मध्य प्रदेश जियोइड मॉडल के लिए एक अस्थायी समय-सीमा है।

6. **श्री अच्युत जोशी**, सलाहकार, मप्र योजना आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रमों और एसडीजी में सी.ओ.आर.एस के उपयोग के बारे में पूछताछ की।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. सी.ओ.आर.एस अन्य समस्याओं के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वाहन नेविगेशन प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन जैसी स्थानीय समस्याओं का समाधान प्रदान कर सकता है। जहां भी भू-स्थानिक डेटा की आवश्यकता होती है, सी.ओ.आर.एस से इनपुट प्राप्त किया जा सकता है।

7. **आईएमडी के श्री बालासुब्रमण्यन** ने सटीक मौसम पूर्वानुमान, योजना और शहरी बाढ़ के शमन के बारे में पूछताछ की।

प्रतिक्रिया निम्नलिखित थी:

i. आईएमडी मौसम की रूपरेखा के लिए सी.ओ.आर.एस का उपयोग कर रहा है, लेकिन अभी तक, उनके पास 100 किमी के दायरे में मौसम की रूपरेखा को मापने के लिए केवल 28 स्टेशन हैं। सीओआरएस नेटवर्क लंबी अवधि के मौसम के पूर्वानुमान के साथ-साथ बादल फटने आदि की भविष्यवाणी के लिए नाउ-कास्ट प्रदान करने में मदद कर सकता है। सर्वे ऑफ इंडिया एक मेटसेंसर नेटवर्क स्थापित करने के लिए आईएमडी के साथ सहयोग कर रहा है। न्यूनीकरण और नियोजन के लिए, उच्च-रिज़ॉल्यूशन DEM डीईएम की आवश्यकता होती है। बड़े क्षेत्रों के लिए डीईएम बनाने के लिए साझा उद्देश्यों और पूल संसाधनों के लिए सरकारी एजेंसियों को एक साथ आना चाहिए।

<u>मैप-टू-ऐप सत्र</u>

सरकारी सार्वजनिक एवं निजी उपयोग के लिए सी.ओ.आर.एस डेटा की उपलब्धता पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्रस्तुति देगा:

वक्ता: श्री उपकार पाठक, अधीक्षण सर्वेक्षक और तकनीकी सचिव, भारतीय सर्वेक्षण विभाग

i. सी.ओ.आर.एस के कामकाज के बारे में दर्शकों को अवगत कराया। उन्होंने दिखाया कि कैसे कई सी.ओ.आर.एस नेटवर्क लगातार नियंत्रण स्टेशनों को डेटा देते हैं और नियंत्रण स्टेशन सुधारों की गणना करेंगे और मॉडल तैयार करेंगे। जब इन सी.ओ.आर.एस स्टेशनों के बीच रोवर का उपयोग किया जाता है, तो यह इंटरनेट का उपयोग करके नियंत्रण स्टेशनों से जुड़ सकता है।

ii. पोस्ट प्रोसेस्ड किनेमैटिक (पीपीके) रिनेक्स और रेफरेंस स्टेशन डेटा द्वारा विभिन्न संदर्भ डेटा सेवाएं सर्वे ऑफ इंडिया सी.ओ.आर.एस पोर्टल द्वारा प्रदान की जाएंगी।

iii. दूरस्थ स्थानों में जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, पीपीके का उपयोग आरटीके सुधार करने के लिए किया जा सकता है। वर्चुअल रिन जीईएक्स का उपयोग तब किया जाता है जब बेस स्टेशन को

भौतिक रूप से स्थापित करना संभव नहीं होता है। सी.ओ.आर.एस मल्टी-सेंसप्लेटफॉर्म, रिसर्च और एकेडेमिया उद्देश्यों जैसे कई अवसर भी प्रदान करता है।

iv. सर्वे ऑफ इंडिया के सी.ओ.आर.एस पोर्टल (https://cors.surveyofindia.gov.in/) पर पहुंचा जा सकता है। इसमें सी.ओ.आर.एस, सेवाओं की पेशकश, पंजीकरण प्रक्रिया, सदस्यता शुल्क का विवरण, सी.ओ.आर.एस रीयलटाइम सेवाओं के उपयोग के मामले, सी.ओ.आर.एस सेवाओं का वीडियो डेमो इत्यादि से संबंधित जानकारी है।

v. स्पीकर ने मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा और भू-स्थानिक डेटा सेवाओं को प्राप्त करने और उत्पादन करने के लिए नए भू-स्थानिक दिशानिर्देश 2021 पर भी प्रकाश डाला।

vi. सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के उपयोगकर्ता समूह सरकारी एजेंसियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, शैक्षणिक और अनुसंधान, व्यक्ति, भारतीय फर्म, विदेशी संस्थाएं आदि हैं।

vii. यह देखा गया है कि अधिकांश उपयोगकर्ता राज्य सरकारों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के हैं। आरटीके सेवाओं के लिए सरकार द्वारा रीयल-टाइम सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

viii. मूल्य निर्धारण के संदर्भ में, मार्च, 2023 तक सरकारी, शैक्षणिक उपयोगकर्ताओं और निजी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। मार्च, 2023 के बाद, सरकार की नीति के अनुसार, सेवाएं निजी उपयोगकर्ताओं के लिए नि:शुल्क नहीं होंगी।

एप्लिकेशन जनरेशन के लिए सी.ओ.आर.एस डेटा के उपयोग पर विचार-विमर्श:

वक्ता: श्री संदीप चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र, आईआईटी इंदौर

i. अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वह ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं। गुणवत्ता से समझौता किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों की ओर झुकाव वाली प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दृष्टि से इस केंद्र की स्थापना की गई थी।

ii. इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संस्थान परीक्षण मामलों के लिए सहयोग करने, ग्रामीण समुदायों के साथ जानकारी साझा करने के लिए तैयार है। विभाग उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोगों के निर्माण पर काम कर सकता है, सीमा प्रबंधन प्रणाली और कृषि भूमि के उपयोग के लिए, जियो टैगिंग का उपयोग करके हम खेती की प्रवृत्ति, फसल पैटर्न आदि का विश्लेषण कर सकते हैं। ऐप-आधारित परिवहन मॉडल विकसित किए जा सकते हैं ताकि वन्यजीव ट्रैकिंग तक पहुंचा जा सके।

वक्ता: श्री जसविंदर सिंह ग्रेवाल, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, गूगल क्लाउड

i. स्पीकर ने बताया कि हाल ही में पुणे परिवहन निगम और गूगल ने अपने सार्वजनिक परिवहन को ट्रैक करने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग करने के लिए एक अनुबंध किया है। इसके तहत, उपयोगकर्ता/नागरिक बसों, मार्गों, परिवहन की उपलब्धता आदि को ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह, उत्पन्न डेटा का उपयोग परिवहन, कृषि आदि के उद्देश्य से किया जा सकता है।

ii. बताया गया कि योजना के तहत सृजित मानचित्रों का उपयोग गूगल अर्थ में भी किया जा सकता है। गूगल अर्थ इंजन के विकास की संरचना करते समय विभिन्न कैटलॉग का उपयोग किया गया था, पहला डेटा कैटलॉग था, स्वामित्व योजना के तहत उत्पन्न डेटा को एपीआई के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। यह एक संगणना मंच के रूप में कार्य करता है और एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है।

iii. स्पीकर ने बताया कि उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ बैठक की और उन्हें गूगल द्वारा तैयार एप्लिकेशन के बारे में अवगत कराया।

iv. टाउन प्लानिंग या अन्य उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए, पुणे परिवहन निगम और गूगल के बीच एक अनुबंध की तरह रीयल-टाइम डेटा और अपडेट डेटा की आवश्यकता होगी, जहां गूगल मैप बेस पर बसों का रियल टाइम अपडेट यूजर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है।

v. संग्रहण क्लाउड पर उपलब्ध कराया जा सकता है (चुने गए *संग्रहण के प्रकार पर शुल्क लागू हो सकते हैं*)। भू-स्थानिक डेटाबेस को संभालने के लिए गूगल के पास कस्टम बिल्ड हार्डवेयर भी है।

vi. अनुवाद प्रणाली अंग्रेजी भाषा को ग्रामीण भाषा में या क्षेत्रीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने में मदद करेगी।

<u>सत्र II (ग्रामीण नियोजन)</u>

मुख्य भाषण:

i. ग्रामीण स्थानिक योजना और आरएडीपीएफआई दिशानिर्देश

ii. मॉडल ग्रामीण परिवर्तन अधिनियम 2022 के लिए लिए दीक्षा

वक्ता: डॉ. एन. श्रीधरन, वरिष्ठ प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली।

i. डॉ. एन. श्रीधरन ने अध्यक्ष, गणमान्य व्यक्तियों और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों की तैयारी के साथ 2016 से अपने जुड़ाव के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानिक योजना की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला जो 2021 में आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को संशोधित करने के विचार में लाया गया था जिसे 2022 में एमओपीआर द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ii. उन्होंने एक अच्छी योजना प्रक्रिया और परिणामों के लिए आवश्यक विजनिंग प्रक्रिया पर जोर दिया। उन्होंने आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों का विस्तृत विवरण दिया जो मानकों का एक सेट है जो पंचायत, क्लस्टर, ब्लॉक और जिले के एकीकृत विकास के लिए स्थानिक योजना के दौरान मदद करेगा। संशोधित आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों में गांवों की टाइपोलॉजी, विभिन्न क्षेत्रों के लिए लैंडयूज स्टैंडर्स, विलेज टाउन प्लानिंग स्कीम (वीपीएस), आपदा तैयारी, 15$^{वें}$ सीएफसी और

संबंधित एसएफसी से लिंकिंग और योजना के लिए आबादी क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना डेटा का उपयोग करने जैसे अतिरिक्त खंड हैं। उन्होंने गांवों को राजमार्गों से जोड़ने और इन जमीनों की क्षमता के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पेरी-अर्बन क्षेत्रों के साथ-साथ सेन्सस-टाउन की वृद्धि और विकास क्षमता का दायरा केवल इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक स्थानिक योजना बनाकर ही आकार दिया जा सकता है। उन्होंने विश्लेषण किया कि 2047 तक, भारत 50% ग्रामीण और 50% शहरी होगा, इसलिए मानकों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है।

iii. उन्होंने मॉडल रूरल ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करेगा। ग्राम नियोजन योजना (वीपीएस) और यह कैसे ग्रामीण परिदृश्य को नया रूप देने में मदद करेगी

ग्रामीण स्थानिक योजना के माध्यम से सुझावात्मक हस्तक्षेप; यह मामला हरियाणा ग्राम पंचायत का है

वक्ता: डॉ. संगीता बग्गा मेहता, प्रिंसिपल, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर।

स्पीकर ने प्रकाश डाला कि चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पथरेरी और मुलाना की पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना (जीपीएसडीपी) तैयार करने के लिए भागीदार संस्थानों में से एक था। जीपीएसडीपी की तैयारी की कवायद के दौरान, पंचायतों से जुड़ने के लिए विश्वास पैदा करना महत्वपूर्ण था। पंचायतों के बीच मुख्य अंतर यह था, जबकि पथरेरी एक कृषि-आधारित गाँव अधिक है, मुलाना राजमार्ग से निकटता के कारण शहरी-गाँव की तरह है। ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए, संपूर्ण हितधारक चर्चाएँ आयोजित की गईं, और डेटा एकत्र किया गया और विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर प्रस्ताव सुझाए गए और भूमि उपयोग योजनाएं तैयार की गईं। उपलब्ध भूमि का उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है। जल निकायों का उपयोग जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, भौतिक और 3डी मॉडल के माध्यम से ग्रामीणों को अंतिम भूमि उपयोग के बारे में समझाया गया। 3डी मॉडल ने उन्हें वर्तमान स्थिति विश्लेषण और

जीडीपीएसडी और भवन उपनियमों के कार्यान्वयन के बाद की स्थिति की एक झलक दी। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अपनी प्रस्तुति समाप्त की।

स्वामित्व योजना की मदद से ग्रामीण नियोजन में अवसर

वक्ता: श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, दिल्ली।

i. श्री आलोक प्रेम नागर ने अध्यक्ष, गणमान्य व्यक्तियों और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पालन की जा रही योजना प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति की योजना और निर्माण कैसे किया जा रहा है, इसका संक्षिप्त परिचय दिया।

ii. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियोजन बहुत ही जैविक तरीके से चल रहा है और नियोजन प्रक्रिया में अधिक निष्पक्षता लाने के लिए, वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में स्थानिक नियोजन पहलुओं को पेश करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डेटा नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए डेटा के अपडेशन में भी समय लगेगा और यहीं पर स्वामित्व योजना की प्रासंगिकता का पता चलता है। स्वामित्व योजना के तहत आबादी क्षेत्र के उच्च रिज़ॉल्यूशन मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) कैप्चर किए जा रहे हैं और उनकी विशेषताओं को कैप्चर करके दृश्यमान सुविधाओं का GIS डेटा बनाया जा रहा है।

iii. स्वामित्व योजना डेटा मौजूदा भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करने में, आबादी क्षेत्र के बिल्ड-अप क्षेत्र, आबादी में खाली भूमि और संरचना के प्रकारों खाली भूमि का स्वामित्व की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसी प्रकार, परिवहन नेटवर्क, स्ट्रीट लाइट, जल कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, सार्वजनिक कनेक्शन, ठोस अपशिष्ट डिब्बे, और शैक्षिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक-अर्ध सार्वजनिक जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे का सीमांकन में भी मदद कह सकता है। यह आपदा प्रबंधन में मदद कर सकता है क्योंकि डीईएम

डेटा उच्च ऊंचाई वाले मैदानों का डेटा प्रदान कर सकता है जहां आपातकालीन बिंदु बनाए जा सकते हैं।

iv. उन्होंने साझा किया कि पंचायती राज मंत्रालय ने 17 योजना और वास्तुकला संस्थानों के साथ भागीदारी की है, जिन्होंने 34 ग्राम पंचायतों की स्थानिक विकास रिपोर्ट तैयार करने में मदद की है। इन ग्राम पंचायतों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि वे राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे प्रमुख परिवहन कॉरिडोर के पास थीं और वहां विकास के बेहतर अवसर हैं। स्थानिक प्रक्रिया कल्पना प्रक्रिया और भवन उपनियमों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को विनियमित करने के लिए लागू की जाने वाली भवन अनुमति प्रणाली पर आधारित होगी। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मौजूदा बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है। ग्राम मनचित्र भी एक सहायक उपकरण है क्योंकि यह बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में मदद करता है और नई संभावित योजना और निगरानी हस्तक्षेपों के लिए इसे और विकसित किया जाएगा।

सत्रः अनुभव साझा करने का सत्रः बिलकिसगंज, मध्य प्रदेश

वक्ता 1) डॉ. रामा यू. पाण्डेय, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल।

2)बिलकिसगंज ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि।

डॉ. रमा यू. पाण्डेय ने बिलकिसगंज ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय दिया। यह हाईवे के पास है। इसमें पहुंच, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज आदि जैसे कई मुद्दे थे। जीपीएसडीपी तैयार करने में कई प्रस्ताव सुझाए गए थे। ग्राम पंचायत ने इसी लाइन में काम किया है और कुछ प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले चरण में लागू की गई कुछ परियोजनाओं में घरेलू जल कनेक्शन, डोर-टू-डोर ठोस अपशिष्ट संग्रह, सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन, घरेलू गंदे पानी के लिए सामान्य लीच पिट, ओवरहेड टैंक आदि शामिल थे। वर्षा जल संचयन जैसे हस्तक्षेपों को सार्वजनिक भवनों में स्थापित किया गया है जिससे जल स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिली है। धूसर पानी के लिए लीच पिट्स का निर्माण और किचन गार्डन के लिए लीच

पिट्स से फ़िल्टर किए गए पानी का उपयोग, घर-घर जाकर ठोस कचरे का संग्रह और कचरे को 7 खंडों में अलग करना। कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदल दिया गया है और उन सड़कों के साथ खुली नालियों को क्रमशः पंचायतों द्वारा कवर किया गया है। प्रमुख स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। पेवर्स ब्लॉक लगाकर पैदल चलने के लिए फुटपाथों का उन्नयन किया गया है। बिलकिसगंज पंचायत के लिए तैयार की गई जीपीएसडीपी सकारात्मक टिप्पणियों के साथ उन्होंने प्रस्तुति का समापन किया कि विकास की प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद की है और वे प्रस्तावित परियोजनाओं को चरणों में लागू कर रहे हैं। जीपीएसडीपी के कार्यान्वयन से उन्हें जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है और यह दीर्घकालिक विकास और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रस्तुति का समापन किया।

सत्र II: अनुभव साझा करने का सत्र: बेल्हे ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र

वक्ता: 1) डॉ बीएच सुथार, वरिष्ठ प्रोफेसर और एआर। सुनील तेरदल्कर, भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे

i. डॉ. बीएच सुथार ने बेल्हे ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय दिया। जीपीएसडीपी की तैयारी के दौरान व्यापक हितधारक परामर्श किया गया। यह राजमार्ग के पास और शिक्षण संस्थानों के लिए एक केंद्र भी है। पंचायत में लगभग 600 गायों और भैंसों के लिए कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या औपचारिक पशुपालन नहीं है। संस्थान द्वारा तैयार किए गए जीपीएसडीपी में इसे रणनीतिक रूप से प्रस्तावित किया गया है। अन्य प्रस्तावों में सड़क संपर्क, गैर-उपजाऊ भूमि उपयोगिता, मिट्टी की निकासी, बुनियादी ढांचे के प्रावधान में आसानी और सभी वार्डों में संतुलित विकास शामिल हैं। ग्राम पंचायत ने इस लाइन में काम किया है और कुछ प्रस्तावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले चरण में लागू की गई कुछ परियोजनाओं में सड़कें और पानी के कनेक्शन शामिल थे। चिन्हित सड़कों को कंक्रीट से पक्का किया गया है और फुटपाथों पर पेवर

टाइल ब्लॉक लगाए गए हैं। पंचायत के घरों में पानी की लाइन बिछा दी गई है। पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) :के लिए एक ठोस अपशिष्ट संग्रह यार्ड बनाया गया है और पंचायतें अपशिष्ट-से-ऊर्जा की क्षमता वाली है। स्ट्रीम कॉरिडोर विकास (14 वें वित्त आयोग अनुदान से लिया जा सकता है), विशेष ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र- कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण संयंत्र, कौशल विकास केंद्र- महिला और युवा प्रशिक्षण केंद्र (महाराष्ट्र राज्य बागवानी और औषधीय पादप बोर्ड से लिया जा सकता है), नवीकरणीय ऊर्जा और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना जैसे कुछ दीर्घकालिक प्रस्ताव भी सुझाए गए थे।

ii. हाइलाइट किए गए प्रस्तावों में से एक ग्राम सभा भवन के लिए था जिसमें 25 किलोवाट की क्षमता के साथ छत पर सौर स्थापना की सुविधा थी। निचले तलों का उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न तलों में किराये-सृजन गतिविधियों के माध्यम से राजस्व एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि श्री. गोरक्षनाथ वाघ, बेल्हे ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि ने कार्यशाला से स्वामित्व योजना के उपयोगी पहलुओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने जीपीएसडीपी की तैयारी के लिए एमओपीआर और संस्थान को भी धन्यवाद दिया, जिसने विकास कार्यों के चयन को आसान बना दिया है। उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रस्तुति का समापन किया।

समापन सत्र:

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का सारांश

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने उन लाभों के महत्व पर प्रकाश डाला जो प्राथमिक हितधारकों यानी राज्य के विभागों द्वारा स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने राज्य द्वारा की जाने वाली पूर्व-सर्वेक्षण गतिविधियों के बारे में सूचित करते हुए सत्र को संक्षेप में प्रस्तुत किया। राज्य अपने राज्य के अधिनियमों/नियमों में आवश्यक संशोधन कर

संपत्ति कार्ड के प्रारूप को अंतिम रूप देंगे। कार्यान्वयन लक्ष्योन्मुखी होना चाहिए और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। एक बार संपत्ति कार्ड वितरित किए जाने के बाद ये संपत्ति कर के संग्रह को सक्षम कर सकते हैं। उन्होंने ने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि कैसे राज्य ने पंचायत द्वारा ही ग्राम पंचायत में चार-पांच कर्मचारियों को नियुक्त किया है और पारिश्रमिक का भुगतान पंचायत द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा नहीं। एक बार जब ये छह-सात साल के लिए पद पर होते हैं तो वे ग्राम पंचायत के पद के लिए पात्र हो जाते हैं। संपत्ति कर का संग्रह पंचायत को गांवों की सुविधाओं और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। सी.ओ.आर.एस एस कृषि में मदद कर सकता है, पार्सल/ भूखंडों को सटीक रूप से चिह्नित आदि कर सकता है। गूगल, ट्रिम्बल और हेक्सागोन जैसे विभिन्न संस्थान जो सम्मेलन में मौजूद थे, वे भी ट्रैफिक मूवमेंट, सर्वे आदि का विश्लेषण करने में मदद कर सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया ने सी.ओ.आर.एस नेटवर्क के बारे में और अधिक समझने के लिए सॉफ्टवेयर भी विकसित किया है। उन्होंने सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन में वक्ताओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनकी उपस्थिति और सम्मेलन के दौरान जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया।

(अविनाश चंदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

****

अनुबंध

प्रतियोगियों की सूचीः

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
1.	श्री सुनील कुमार	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	secy-mopr@nic.in
2.	डॉ सी एस कुमार	अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	cs.kumar@nic.in
3.	श्री आलोक प्रेम नगर	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	ap.nagar@gov.in
4.	लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार	अध्यक्ष, स्वामित्व और निगरानी समिति	imajorgk@yahoo.com
5.	श्री श्रीमान शुक्ला	आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश	shriman.shukla@mp.gov.in
6.	श्री अरुण के मिश्रा	उप सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	a.misra1965@nic.in
7.	श्री अविनाश चंदर	अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	avinash.chander@nic.in
8.	श्री तारा चंदर	अवर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	tara.chandar@nic.in
9.	श्री उदय कुमार	डीडीजी, एनआईसी-	uday.kumar@nic.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
		जीआईएस	
10.	डॉ .संजय गोयल	सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	prirevcom@mp.gov.in
11.	श्री धनंजय सिंह भदौरिया	सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	secpanchayat@mp.gov.in
12.	श्री ध्रुबज्योति सरना	वैज्ञानिक ई, जीएसटीटीएस, डिविजन, एनआईसी	sarma.dhrub@nic.in
13.	श्री दिलराज सिंह	सचिव, राजस्व विभाग, पंजाब	secy1.rev@punjab.gov.in
14.	श्री संदीप जैक्स	सचिव, राजस्व विभाग, गोवा	secyrev.goa@gov.in
15.	डॉ .एन .श्रीधरन	वरिष्ठ प्रोफेसर, एसपीए-दिल्ली	dr.nsridharan@gmail.com
16.	डॉ .संगीता बग्गा मेहता	प्रिंसिपल, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, चंडीगढ़	sangeetabagga@gmail.com
17.	श्री मुनीश मौदगिल	आयुक्त, सर्वेक्षण, बंदोबस्त	commr.sslr9@gmail.com commr.sslr13@gmail.com
18.	श्री आशीष भार्गव	अपर आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश	dmniwari@nic.in
19.	श्री विनोद यादव	उप निदेशक, मध्य प्रदेश, पंचायती राज विभाग	
20.	श्री शांतनु गोटमेयर	निदेशक, भूमि अभिलेख, असम	principal.secretary.btc@gmail.com
21.	श्री एस चोकलिंगम	महानिदेशक, यशदा	s.chockalingam@yashada.org

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
22.	डॉ जॉय एलमन	महानिदेशक, किला	director@kila.ac.in
23.	श्रीमती शिल्पा शर्मा	आयुक्त, पंचायती राज, कर्नाटक	prspr.karnataka@gmail.com
24.	श्री आयुष प्रसाद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, पूणे	ceozp.pune@maharashtra.gov.in
25.	श्री उपकार पाठक	अधीक्षण सर्वेक्षक और तकनीकी सचिव, भारतीय सर्वेक्षण विभाग	upkar.pathak.soi@gov.in
26.	श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक - जीडीसी, यूपी	up.gdc.soi@gov.in
27.	श्री एमसी गौर	निदेशक-जीडीसी, राजस्थान	raj.gdc.soi@gov.in
28.	श्री महेश रवींद्रनाथन	निदेशक-जीडीसी, केरल और लक्षद्वीप	ker.gdc.soi@gov.in
29.	कर्नल सुनील फतेहपुर	निदेशक-जीडीसी, महाराष्ट्र	mhgoa.pune.soi@gov.in
30.	श्री आशीष कौशल	निदेशक, जीडीसी, महाराष्ट्र	ors.gdc.soi@gov.in
31.	श्री एमके स्टालिन	निदेशक-जीडीसी, टीएमएमजेड	tmmz.gdc.soi@gov.in
32.	श्री संदीप श्रीवास्तव	निदेशक-जीडीसी, मध्य प्रदेश	mp.gdc.soi@gov.in
33.	श्री नीरज गुर्जर	निदेशक, जी एंड आरबी, भारतीय सर्वेक्षण	neeraj.gurjar.soi@gov.in
34.	श्री उत्तम दौलगुपु	संयुक्त सचिव, एनसीएचएसी	utamdaolagupu@gmail.com
35.	श्री पथ एन पटेल	राजस्व विभाग, गुजरात	dd-svamitva-scndlr@gujarat.gov.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
36.	श्रीमती नीरज कुमार चंदला	संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश	jointdirectorprhp@gmail.com
37.	श्री चंदन कपूर	निदेशक, भू-अभिलेख, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	dlr-hp@nic.in
38.	श्री कुमार राजीव रंजन	राजस्व विभाग	jaklarma.rev@gmail.com
39.	श्री मोहम्मद शब्बीर	ओएसडी, राजस्व विभाग, लद्दाख	comsecyutladakh@gmail.com
40.	श्री अर्जुन मोहन	एडीएम, राजस्व विभाग, लद्दाख	collectorate2@gmail.com
41.	श्री आर बालासुब्रमण्यन	भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)	r.balasubramanian@imd.gov.in
42.	डॉ .रमा यू .पाण्डेय	प्रोफ़ेसर, स्कूल ऑफ़ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल	ramapandey@spabhopal.ac.in
43.	श्री बालासाहेब काले	उप निदेशक, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र	balu.kale@gov.in
44.	श्री विष्णु शिंदे	राजस्व विभाग, महाराष्ट्र	ddlrnagpur@yahoo.com
45.	श्री लनजॉय थौडम	उप सचिव, राजस्व विभाग, मणिपुर	lan19lor@gmail.com
46.	श्री के लालडिंगलियाना	राजस्व विभाग, मिजोरम	lrsmizoram@gmail.com
47.	डॉ रौनक बैरागी	पंचायती राज विभाग, राजस्थान	rajpr.dstrg@rajasthan.gov.in
48.	श्री बीएल गुप्ता	पंचायती राज विभाग,	rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
		राजस्थान	
49.	डॉ शशि जैन	राजस्व विभाग, राजस्थान	scr-rj@nic.in
50.	श्री जितेंद्र बबेरवाल	सर्वेयर, राजस्व विभाग, राजस्थान	scr-rj@nic.in
51.	श्री माणिक चक्रवर्ती	राजस्व विभाग, त्रिपुरा	dd.dlrs-tr@gov.in
52.	श्री रूपक दास	राजस्व विभाग, त्रिपुरा	dd.dlrs-tr@gov.in
53.	श्री भीष्म लाल वर्मा	उपायुक्त , राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश	borlko@nic.in
54.	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश	borlko@nic.in
55.	श्री बिकास चंद्र महापात्रा	निदेशक, राजस्व विभाग, उड़ीसा	dlrs@nic.in
56.	श्री अर्जुन पांडियन	संयुक्त आयुक्त, भू-राजस्व, केरल	arjun.p@nic.in
57.	श्री बीनू जॉन	जिला संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, केरल	b.john86@nic.in
58.	श्री ओंकार सिंह	पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड	
59.	श्री मनोज के तिवारी	पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड	manojtiwaridpro@gmail.com
60.	श्री सुनील वर्मा	मुख्य अभियंता, मप्र राज्य पथ परिवहन	sunil-verma@mp.gov.in
61.	डॉ अभय कुमार पाटिल	मप्र राज्य वन विकास	mdrvvn@mp.gov.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
		निगम	
62.	श्री संजय दुबे	प्रमुख सचिव, मप्र ऊर्जा विकास निगम	secyenergy@mp.gov.in
63.	श्री अजय के खोसला	मुख्य अभियंता, जल संसाधन	seifcenc@gmail.com
64.	श्री अच्युत जोशी	सलाहकार, योजना आयोग, मध्य प्रदेश	joshi.achyut@mp.gov.in
65.	श्रीमती अनामिका दास	उपाध्यक्ष, भू स्थानिक दुनिया	anamika@geospatialworld.net
66.	श्री रमन खन्ना	ट्रिम्बल	raman_khanna@trimble.com
67.	श्री. सुभाष कुमार	ट्रिम्बल	subhash_kumar@trimble.com
68.	श्री. जसविंदर सिंह ग्रेवाल	प्रधान वास्तुकार, गूगलक्लाउड	jsgrewal@google.com
69.	प्रोफेसर संदीप चौधरी	आईआईटी इंदौर	prof_incharge_crdt@iiti.ac.in
70.	श्री. जॉनसन फेनांडेस	निदेशक, सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख, गोवा	dir-land.goa@nic.in
71.	श्री. नितिन मंत्री	आईएसएलआर, राजस्व विभाग, गोवा	nitinrmantri@rediffmail.com
72.	श्रीमती ममता बी सोजित्रा	उप निदेशक, राजस्व विभाग, गुजरात	dd-svamitva-scndlr@gujarat.gov.in
73.	श्री. दिनेश	राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश	prd.chhattisgarh@gmail.com
74.	श्री. राकेश के साहू	राजस्व विभाग	yash.kumarrakesh90@gmail.com
75.	श्री. मोहित मिश्रा	उप सचिव (नगर एवं ग्राम योजना विभाग), डीएनएच एवं डीडी/उप कलेक्टर (मुख्यालय), दमन, पंचायती राज विभाग	dycoll-dmn-dd@nic.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
76.	श्री. पंकज गुप्ता	हेक्सागोन, बिक्री निदेशक	pankaj.gupta@hexagon.com
77.	श्री. संजीव तेहरान	निर्देशक, ट्रिम्बल	sanjeev_trehan@trimble.com
78.	श्री. धन बाबू रियांग	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा	ceottaadc@gmail.com
79.	श्री. डेविड सी ज़ोथंटलुआंगा	राजस्व अधिकारी, मिजोरम	lrsmizoram@gmail.com
80.	श्री. इंग्लॉन चकमा	वरिष्ठ राजस्व अधिकारी, त्रिपुरा	pronitbikashchakma1970@gmail.com
81.	श्री. रिकी वी बैराथा	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, मिजोरम	vt.ricky1@gmail.com
82.	श्री. गोलांजो थाउसेन	कार्यकारी सदस्य, असम	ruralassam@yahoo.co.in
83.	श्री. राजेश जांगड़े	बिलकिसगंज ग्राम पंचायत (मध्य प्रदेश)	dirpanchayat@mp.gov.in
84.	श्री. धीरज सऊद	सचिव, असम	
85.	श्री. मोगंजय थाउसेन	उप सचिव, असम	
86.	श्री. दुर्गेश सिंह	राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश	durgesh.singh1979@mp.gov.in
87.	सुश्री झांसी रानी कोलाकालुरी	राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश	sslr.ho.dd@gmail.com
88.	श्री. येद्दनपुडी आनंद जोशना	निर्वाचित प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश	anandjoshna.yaddanapudi@gmail.com
89.	श्री. हगेंद्र चकमा	मिजोरम	_
90.	श्री अग्रगापु वेणु	सर्वेक्षण निरीक्षक, राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश	
91.	श्री. रेलिश जिनी	राजस्व विभाग, अरुणाचल प्रदेश	jinreli@yahoo.com
92.	श्री. दया होजाई	पंचायती राज विभाग, असम	
93.	श्री. शिरोमणि कोंवर	निर्वाचित प्रतिनिधि, असम	Shiromonikonwar121@gmail.com
94.	श्रीमती दमयंती राय	निर्वाचित प्रतिनिधि, असम	spmu.assam@gmail.com
95.	श्रीमती नबज्योति	निर्वाचित प्रतिनिधि,	nabajyotisarmamld@gmail.com

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
	सरमा	असम	
96.	श्री. प्रथमेश शंकरदास	निर्वाचित प्रतिनिधि, गोवा	_
97.	श्री. तिवरेम ओरगाओ	सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि, गोवा	
98.	श्री. भोमा एडकोल्ना	सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि, गोवा	
99.	श्री. गोरक्षनाथ वाघ	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	
100.	श्री. राकेश डोलास	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	
101.	डॉ. बजरंग एच सुतार	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	bhs@bvcoa.in
102.	श्री. सुनील तेरधालकर	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	svt@bvcoa.in
103.	श्री. गिरीश सुभाष धायगुडे	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	girish.dhaygude@gmail.com
104.	श्री. सुधाकर उमक	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	
105.	श्री. गोकुल परदेशी	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	
106.	श्रीमती प्रतिभा पंकज सूर्यवंशी	निर्वाचित प्रतिनिधि, महाराष्ट्र	
107.	श्री. कुलदीप इंदौर	सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजस्थान	
108.	श्रीमती निर्भा	सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजस्थान	
109.	श्रीमती कंचन	सरपंच, निर्वाचित प्रतिनिधि, राजस्थान	
110.	श्रीमती इला गिरी	अपर जिला अधिकारी, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड	crc.ddn99@gmail.com
111.	श्रीमती सोना सजवाद	निर्वाचित प्रतिनिधि, उत्तराखंड	

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
112.	श्री. रघुवीर सिंह सजवाद	निर्वाचित प्रतिनिधि, उत्तराखंड	
113.	थिरु एम.एस रमेश	राजस्व विभाग, पुडुचेरी	dos@py.gov.in
114.	थिरु डी संतोचे कूमार	राजस्व विभाग, पुडुचेरी	dos@py.gov.in
115.	श्री. गुरमेज सिंह	निर्वाचित प्रतिनिधि, पंजाब	josh.ibdo@gmail.com
116.	श्री. बलबीर सिंह बरेवाल	निर्वाचित प्रतिनिधि, पंजाब	josh.ibdo@gmail.com
117.	श्री. सुखदेव सिंह	निर्वाचित प्रतिनिधि, पंजाब	josh.ibdo@gmail.com
118.	श्री. नवनीत जोशी	पंचायती राज विभाग, पंजाब	josh.ibdo@gmail.com
119.	डॉ. घनश्याम अनुरागी	निर्वाचित प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश	ghansh.yamanuragi@yahoo.com
120.	श्रीमती भारती आर्य	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश	
121.	श्री. अशोक कुमार	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश	
122.	श्री. संजय यादव	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश	rgsa.up@gmail.com
123.	श्री. अवधेश के. पटेल	पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश	avadhesh.rgsa.up@gmail.com
124.	श्रीमती कर्णिका कौशिक	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	karnika.kaushik@nic.in
125.	श्री. आभास व्यास	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	abhas.vyas@nic.in
126.	श्री. गर्वित त्रिवेदी	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	garvit.trivedi@nic.in
127.	श्री. शिवम रंजन	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	shivam.ranjan@govcontractor.in
128.	श्री. वात्सल्य मालवीय	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	vatsalya.malvaya@nic.in

क्र.सं.	प्रतिभागी	पदनाम	ई-मेल पता
129.	श्री. मोहित राव	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	mohitrao.mopr@govcontractor.in
130.	श्री. प्रेरित सरस्वत	परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय	prerit.s@govcontractor.in